राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

दिनांकः 04 09 20

क्रमांकः डीसी/लेखा/बजट 2020/ 482

1. उपनिदेशक,
औषधि परीक्षण प्रयोगशाला,
राजस्थान, जयपुर

2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।

विषयः— आगामी वित्तीय वर्ष 2021—22 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2020—21 के संशोधित अनुमान प्रेषित करने बाबत।
संदर्भः— वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर का बजट परिपत्र क्रमांक : प.4(196) वित्त—1(1)आ.व्य./2020 दिनांक 08.09.2020

शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान के प्रासंगिक बजट परिपत्र के क्रम में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के आय व्ययक अनुमान 2021—22 एवं संशोधित अनुमान 2020—21 तैयार कर आईएफएमएस ऑनलाईन पर डाटा एन्ट्री कर मय आईएफएमएस ऑनलाईन रिपोर्ट के साथ औषधि नियंत्रक प्रधान कार्यालय में संलग्न कार्यक्रमानुसार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वित्त विभाग के बजट परिपत्र के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। नवीन आईटम प्रस्ताव (नवीन आईटम की आवश्यकता होने पर) प्रपत्र 9 के नीचे अंकित प्रारूप में प्रस्तुत करें। प्रासंगिक वित्त विभाग का बजट परिपत्र वित्त विभाग एवं विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है जिसको डाउनलोड एवं मुद्रित कर उसमें दिये गये दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावें।

1. आय व्ययक अनुमान तैयार कर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे। नवीन व्यय (यदि कोई प्रस्तावित है) तो उसके प्रस्ताव पृथक से प्रस्तुत किया जावें।
2. स्वीकृत प्रावधानों से कम या अधिक प्रावधानों की स्थिति में प्रत्येक बिन्दु की बजट टिप्पणी आवश्यक रूप से संलग्न करें।
3. व्यय तथा प्राप्तियों के अनुमान प्रपत्र 8,9 एवं 10 में बजट मदवार अलग अलग तैयार किये जावें। संकलित राशि का योग निकटतम सैकडों में दर्शाई जावे।

4. वेतन एवं भत्तों के लिए प्रावधान वर्तमान पे मेट्रिक्स एवं प्रचलित दरों के आधार पर तैयार किये जावें।
5. आय व्ययक अनुमान प्र.का. तैयार करते समय कार्यालयवार कर्मचारियों की स्वीकृत स्ट्रेन्थ की संस्थापन अनुभाग जयपुर से प्राप्त कर स्वीकृत पदों के अनुरूप ही तैयार किया जावे। किसी भी प्रकार के अन्तर को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. बकाया समस्त देनदारियों का विवरण प्रपत्र 'क' एवं संविदा व्यय के संबध में संविदा पर लगाये गये वाहन चालक एवं अन्य का विवरण प्रपत्र 'स' में संलग्न कर भिजवायें।
7. सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश का भुगतान के संबंध में बजट वित्त विभाग के विवरणानुसार अलग से प्रेषित करावें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

दिनांकः

क्रमांकः डीसी / लेखा / बजट 2020 /
प्रतिलिपिः— प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय कृपया इस पत्र को मय विवरण के विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र 'क'

बकाया देयताओं का विवरण

(यात्रा चिकित्सा एवं कार्यालय व्यय का विवरण अलग–अलग दें)

बजट उपमद	बजट प्रस्तुत करने की तिथि तक आवंटित बजट (2020–21)	बजट प्रस्तुत करने की तिथि तक व्यय	बजट प्रस्तुत करने कर तिथि को बकाया दायित्वों की राशि (कार्मिकवार सूची संलग्न करें)
1	2	3	4

प्रपत्र 'ख'

संविदा व्यय पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण

कार्मिको का नाम	किस एजेन्सी के माध्यम से नियुक्ति	दर प्रतिमाह (सर्विस शुल्क, अन्य शुल्क, कटौती आदि भी दर्शायें)	संशोधित अनुमान 2020–21	आ.व्य. अनुमान 2021–22	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र

(एक प्रति में मय IFMS ऑनलाईन की हार्ड कॉपी)

बजट टिप्पणी प्रपत्र–1अ, 1ब, 1स, प्रपत्र–2, प्रपत्र–3 (राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता मदों के पृथक–पृथक), प्रपत्र–4अ, 4ब, प्रप–8, प्रपत्र–9ए, प्रपत्र–10 (प्राप्तियां मद) प्रपत्र–11, प्रपत्र–क, प्रपत्र–ख, प्रपत्र–ग, नवीन आईटम क्रय (नवीन आईटम की आवश्यकता होने पर) प्रपत्र–9 के नीचे अंकित प्रारूप में, वेतन एवं भत्तों की गणना शीट।

कार्यालयवार बजट प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	दिनांक
1.	उपनिदेशक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर। सहायक औषधि नियंत्रक (NDNP), बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, झालावाड, जालौर।	21.09.2020
2.	सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाडा।	22.09.2020
3.	सहायक औषधि नियंत्रक, सीकर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू।	23.09.2020
4.	सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर, नागौर, पाली, भरतपुर, बांसवाडा।	24.09.2020
5.	सहायक औषधि नियंत्रक, अलवर चित्तौडगढ, चूरू, टोंक	25.09.2020

E:\Sangeeta Madam\BFC.docx

भीम

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

आय–व्ययक महत्त्वपूर्ण

समस्त नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का कृपया अत्यन्त सावधानीपूर्वक पठन कर सभी स्तरों पर वांछित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

बजट परिपत्र

क्रमांक :प.4(196)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 जयपुर, दिनांक :08 सितम्बर, 2020

विषयः–आगामी वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए संशोधित अनुमान।

1. आगामी वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020–2021 के संशोधित अनुमान समस्त बजट आंकलन अधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकरियों द्वारा बजट नियमावली एवं परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए निर्धारित समयावधि में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से BFC के प्रथम भाग (other than scheme) एवं द्वितीय भाग (scheme) हेतु प्रपत्र संख्या 1 से 14 में पृथक–पृथक ऑनलाईन Digital/ e-sign कर प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।
2. **व्यय के अनुमान तैयार करते समय कोविड–19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय व्यय के विनियमन हेतु वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 दिनांक 03.09.2020 द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।**
3. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के अनुमान प्रस्तुत करने से पूर्व वर्तमान में संचालित समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों एवं other than scheme के व्ययों का विस्तृत अध्ययन/परीक्षण किया जाए। ऐसे कार्यक्रम/योजनाएं/other than scheme व्यय जिनकी उपयोगिता/उपादेयता समाप्त हो गई हो या भारत सरकार द्वारा योजना बन्द कर दी गई हो, अथवा कोई अन्य बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती हो, तो उन्हें समाप्त करने, अथवा नए कार्यक्रमों में विलय करने तथा एक ही उद्देश्य/कार्यक्रम हेतु other than scheme मदों एवं योजनाओं से संबंधित मदों में यदि प्रावधान कराया जा रहा है तो उसे चिन्हित कर केवल योजना से संबंधित मदों में ही प्रावधान कराया जावे। प्रत्येक बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बजट नोट में इस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
4. योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के बजट अनुमानों में उन्हीं योजनाओं को सम्मिलित किया जाए जिनके लिए भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं के स्पष्ट संकेत प्राप्त हो गए हैं। इनके लिए संबंधित बजट मदों में निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार ही राज्यांश तथा केन्द्रांश के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए जावें। केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं को PFMS Code से भी Map करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

Room No. 5137, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

5. राज्य में बेहतर वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (FRBM Act) प्रभावी है, जिसमे शून्य राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं। अतः सभी विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि आय एवं व्यय के अनुमानों का समुचित तरीके से वास्तविक आंकलन कर प्रावधान प्रस्तुत किये जावें। अनावश्यक व्यय एवं एकमुश्त प्रावधान के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जावें। जिन मापदण्डों के आधार पर व्यय के प्रस्ताव किये गये हैं, उन मापदण्डों को अवश्य अंकित किया जावे।
6. किसी भी लेखा शीर्ष में अतिरिक्त राशि की मांग किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा तब तक उस पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा, जब तक कि विभाग द्वारा अतिरिक्त मांग की राशि के बराबर अन्य लेखा शीर्षों में बचत प्रस्तावित नहीं की जाती है।
7. **सहायतार्थ अनुदान, अंशदान एवं सब्सिडि के लिए केवल योजनाओं (schemes) के अन्तर्गत ही बजट प्रावधान प्रस्तुत किये जावें।**
8. वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.2(4) वित्त/ लोनिविलेनि/1999 पार्ट–II दिनांक 19.08.2019 के अनुसार निर्माण कार्य विभागों/ वन विभाग द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव IFMS पर A&F Sanction /WAM Module के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र – 14 (अ) एवं 14(ब) की प्रविष्टि के आधार पर ही बजट प्रावधान प्रस्तुत किए जा सकेंगें।
9. विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को सतत विकास लक्ष्यों व सहयोगी लक्ष्यों के साथ Map कराने, जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट, चाइल्ड बजट स्टेटमेन्ट हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (SCSP) व अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) हेतु प्रस्ताव संबंधित विभागों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किए जावें।
10. समस्त बजट आकलन अधिकारियों तथा नियंत्रण अधिकारियों द्वारा परिशिष्ट–'घ' के अनुसार जांच कर बजट प्रस्ताव परिशिष्ट–'ङ' पर उपलब्ध समय सारिणी में अंकित निर्धारित तिथि तक सारिणी में दर्शित प्राधिकारी/विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।
11. परिशिष्ट "क" "ख" "ग" "घ", तथा "ङ" एवं निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 14 वित्त विभाग की वेबसाइट finance.rajasthan.gov.in से Download किये जायें। परिपत्र में संदर्भित विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आदेश/परिपत्र वेबसाईट http://ifms.raj.nic.in पर उपलब्ध हैं। तकनीकी सहायता के लिए वित्त विभाग, सचिवालय में स्थित हैल्प डैस्क (0141–2924449, 0141–2924452) पर या e-mail के माध्यम से ifms-rj@nic.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(टी. रविकांत)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

Room No. 5137, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 **www.finance.rajasthan.gov.in** E-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

(1) प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय
(2) विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
(3) प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, राजस्थान
(4) उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
(5) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
(6) प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
(7) शासन सचिव, वित्त (राजस्व)/विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)
(8) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
(9) सचिवालय के समस्त अनुभाग
(10) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)
(11) संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय– 1, 2, 3, 4, 5) विभाग
(12) तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग, जयपुर को वित्त विभाग की Website पर Upload करने हेतु।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

(1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय
(2) सचिव, राजस्थान विधान सभा
(3) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
(4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
(5) सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[6 / 2020]

Room No. 5137, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in